मध्य रेल सोलापुर मंडल

मासिक परिचालन पत्रिका

माह-नवम्बर 2019 अंक 25

सक्षम अभियान

हमारा उद्देश्य

संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय

दौंड कोर्ड लाइन से गाड़ी क्रमांक 15030 डाउन के श्रू जाने का द्रश्य(16.11.2019)

सतर्क आदमी संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है

समपार फ़ाटक

सा.नि.16.01 सिग्नलों की जानकारी :- किसी व्यक्ति को फाटकवाला तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक उसे सिग्नलों की जानकारी न हो.

स.नियम 16.01.-1 गेटमेन सक्षमता प्रमाण पत्र:-

क. बिना सक्षमता प्रमाणपत्र के किसी व्यक्ति कोफाटक वाले के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा. यह प्रमाणपत्र नीचे दिए निर्देशके अनुसार जारी किये जायेंगे:-

कर्मचारी का विवरण	सक्षमता प्रमाण पत्र- द्वारा हस्ताक्षरित	द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
अंतर्पाशित यातायात गेट पर कार्यरत गेट मेन	यातायात निरीक्षक एवं सेक्शन इंजिनियर (सिग्नल)	सहायक परिचालन प्रबंधक (सामान्य)
अंतर्पाशित इंजीनियरिंग गेट पर कार्यरत गेट मेन	सेक्शन इंजिनियर (रेलपथ) एवं सेक्शन इंजिनियर (सिग्नल)	सहायक मंडल इंजिनियर
अनंतर्पाशितयातायात गेट पर कार्यरत गेट मेन	यातायात निरीक्षक	सहायक परिचालन प्रबंधक (सामान्य)
अनंतर्पाशित इंजीनियरिंग गेट पर कार्यरत गेट मेन	सेक्शन इंजिनियर (रेलपथ)	सहायक मंडल इंजिनियर

ख. मुख्यतः यह प्रमाण पत्र, मंडल प्रशिक्षण केंद में पुन:चर्या अथवा प्रारंभिक प्रशिक्षण के पश्चात उचित प्रशिक्षण, परामर्श एवं ज्ञान के मूल्यांकन तथा फाटकवालों की समझ के बाद जारी किये जाते हैं. इस प्रमाण की वैधता 3 वर्ष की है.

ग. नियंत्रण अधिकारीयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नियंत्रण में आने वाले समपार फाटकों पर तैनात किये गए ग्फातक वाले अपने कामकाज से पूरी तरह से अवगत हैं, उसके बाद ही उन्हें स्वतंत्र रूप से देकर काम पर तैनात किया जाता है. और उनके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है.

घ. स्विचमेन/केबिनमेन/लीवरमेन के फाटक के कामकाज के सम्बन्ध में सक्षमता की जांच क्षेत्रीय प्राशिक्षण केंद्र द्वारा की जाए. स्विचमेन/केबिनमेन/लीवरमेन के सक्षमता प्रमाण पत्रों में परिचालन/फाटकों के कामकाज के बारे में उनकी सक्षमता को भी शामिल किया जाये. तदनुसार सक्षमता प्रमाण पत्रों के प्रारूप में संशोधन किया जाए.

16.02: साज सामान देना तथा उनकी देखभाल – प्रत्येक फाटकवाले को :-

क. दिन और रात्रि के हैण्ड सिग्नल, पटाखे और अन्य निर्धारित सामान दिए जायेंगे तथा

ख. इन सिग्नलों , पटाखों और अन्य साज सामान को वः सही हालत में तथा प्रयोग के लिए तैयार रखेगा.

सहायक नियम 16.02-1 प्रत्येक गेटमन वाले समपार फाटक पर निम्नलिखित उपस्कर होने चाहिए:-

1. सीटी
2. एल.ई.डी. आधारित फ्लेशिंग ट्राई कलर हैण्ड लैंप-3
3. हाथ सिग्नल झंडी हरी 1 डंडे पर लगी
4. हाथ सिग्नल झंडी लाल 3 डंडे पर लगी
5. अतरिक्त जंजीर तालों के साथ -2
6. टीन के डिब्बे में पटाखे 10 (या अधिक दिए गए हों)
7. सब्बल टामी बार -1

8. पानी का बर्तन या बाल्टी

9. घमेला (मोर्टर पान)

10. दुरमुट

11. गैती

12. लाल झंडी या लाल बत्ती दिखने के लिए एक डंडा

13. एक फावड़ा

14. बेनर फ्लैग-2

सहायक नियम 16.02-2 प्रत्येक फ़ाटक वाले सहित (मैन्ड) समपार पर निम्नलिखित चीजें भी अवश्य होनी चाहिए और उन्हें अद्यतन रखना चाहिए:-

क. समपार फाटक के कार्य सञ्चालन अनुदेश,

ख. फाटक वाले की नियम पुस्तक,

ग. फाटक निरीक्षण पुस्तक,

घ. ड्यूटी रोस्टर,

ङ. शिकायत दर्ज करने की पुस्तक.

सहायक नियम 16.03-2(ख) अनंतर्पाशित(नॉन इंटरलॉक) गेट जहाँ स्टेशन /केबिन के साथ टेलीफोन संचार की व्यवस्था हो जिसकी शितिति सड़क यातायात के 'खुली' अथवा 'बंद' हो:-

1. स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में जाने की अनुमति देने से पहले फ़ाटक वाले से टेलीफोन पर पूछेगा कि क्या गाड़ी के आवागमन के लिए फाटक सड़क यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. फाटक वाला यह सुनिश्चित करने के बाद कि सड़क यातयात के लिए फटका वास्तव में फाटक बंद एवं तालित कर दिया गया है, स्टेशन मास्टर को गेट वास्तव में बंद करने एवं तालित करने के आश्वासन स्वरूप प्राइवेट नंबर देगा.
2. स्टेशन मास्टर तब तक किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में जाने के अनुमति नहीं देगा जबतक कि गेट मेन से प्राइवेट नंबर के साथ यह आश्वासन प्राप्त न कर ले कि गेट को सड़क यातयात के लिए बंद और तालित कर दिया गया है.
3. यदि गेट मेन फ़ोन पर जवाब न दे या टेलीफोन ख़राब हो गया हो एवं प्राइवेट नंबर ना मिले तो स्टेशन मास्टर सहायक नियम 16.03-2 के नीचे (ड) और (च) में दिए गए नियमों का पालन करेगा.
4. यदि गेटमेन सड़क यातायात पास करने के लिए फाटक खोलना चाहता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसने उपरोक्त ख.(i) के अनुसार स्टेशन/केबिन से प्राइवेट नंबर का अदन प्रदान नहीं किया है और कोई भी गाड़ी फाटक की ओर नहीं आ रही है. सड़क यातयात के लिए फाटक खोलने से पहले वह गेट के दोनों ओर ट्रैक पर 5 मीटर की दूरी पर खतरा सिग्नल लगाएगा. उसके बाद पहले वह सड़क यातायात पास करने के लिए फाटक खोल देगा और किसी भी आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए अपने हाथ में लाल झंडी /लाल बत्ती लेकर खड़ा रहेगा.
5. यदि गेट टेलीफोन ख़राब हो गया हो और सड़क यातायात को पास कराने के लिए फाटक खोलने की आवश्यकता हो तो गेट मेन दोनों दिशायों में देखेगा और फाटक खोलने के पहले सुनिश्चित करेगा के दोनों ओर से कोई गाड़ी फाटक की ओर नहीं आ रही है. इसके बाद वः गेट के दोनों ओर ट्रैक पर 5 मीटर की दूरी पर दिन के समय लाल बेनर फ्लैग और रात के समय लाल बत्ती लगाएगा. इसके बाद वः सड़क यातायात को पास करने के लिए फाटक खोल देगा और सड़क यातायात पास होने तक किसी भी आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए अपने हाथ में लाल झंडी/लाल बत्ती लेकर तैयार खड़ा रहेगा. सड़क यातायात पास होने के बाद वह सड़क यातायात के लिए फाटक बंद और तालित करेगा तथा

तथा चाबी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा. इसके बाद वः गेट के दोनों तरफ लगाये गए खतरा सिग्नलों को हटा लेगा.

6. स्टेशन मास्टर और गेटमेन, सभी गाड़ियों के लिए दिए प्राइवेट नंबर का रिकॉर्ड निम्नलिखित प्रारूप वाले रजिस्टर में रखेंगे:-

स्टेशन मास्टर/गेटमेन रजिस्टर

गेट	गाड़ी संख्या	गेट बंद होने के आश्वासन स्वरूप स्टेशन मास्टर द्वारा पूछे जाने का समय	समय और प्राइवेट नंबर गेट बंद करने के आश्वासन स्वरूप गेट मेन द्वारा की जाए	
			समय	प्राइवेट नंबर

(ख) अंतर्पाशित (इंटरलॉक) समपार फाटक जहाँ टेलीफोन और गेट सिग्नल की व्यवस्था है :-

1. ऐसे फाटक की सामान्य स्थिति सड़क यातयात के लिए 'बंद' या 'खुली' होती है.
2. स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में जाने के अनुमति देने के अनुमति देने से पूर्व गेटमेन को टेलीफोन पर गाड़ी पास करने की सूचना देगा.
3. गाड़ी की सूचना मिलने पर गेटमेन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट सड़क यातायात के लिए बंद एवं तालित है और उसके बाद गेट सिग्नल ऑफ करेगा.
4. टेलीफोन ख़राब होने पर गेटमेन निम्नानुसार कार्यवाही करेगा:-
   यह सुनिश्चित करेगा कि गेट सिग्नल 'ऑन' स्थिति में है और यदि रात का समय हो तो सिग्नल की रौशनी पूरी तरह से तेज है.जहाँ फाटक की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए 'खुली' हो, वः अच्छी तरह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई गाड़ी फाटक की ओर नहीं आ रही है. जब कभी वः पाटा है कि कोई गाड़ी गेट की ओर आ रही है तो वः सुनिश्चित करेगा कि फाटक को सड़क यातायात के बंद कर एवं तालित कर दिया गया है तभी वः गेट सिग्नल ऑफ करेगा. पहली गाड़ी के लोको पायलट के द्वारा वह स्टेशन मास्टर को गेट फ़ोन ख़राब होने की सूचना देगा.
5. यदि गेट लीवर/बैरियर के टूटने या अन्य किसी कारन से गेट और सिग्नल का अंतर्पाशन फ़ैल हो जाए तो गेट का बचाव करने वाले गेट सिग्नलों को भी ख़राब समझा जायेगा और सुनिश्चित किया जायेगा कि गेट सिग्नल 'ऑन' स्थिति में रहें. गेट सिग्नलों को तब तक 'ऑफ' नहीं किया जायेगा जब तक अंतर्पाशन ठीक न कर दिया जाए. ऐसी अवस्था में गाड़ियों का सञ्चालन सहायक नियम 16.03-2(ख) के अनुसार किया जाएगा.

*****

सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी

संकलन : आर.बी.सिंह यातायात निरीक्षक दौंड.
सहयोग : पी आर नायर यातायात निरीक्षक (संरक्षा) सोलापुर.

संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय